

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठारसीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 197/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/542

वादी

बनाम

प्रतिवादी

शंकर पुत्र लादाजी उर्फ लादाराम  
जाति राजपुरोहित  
निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला  
बालोतरा जरिए अधिकार पत्र धारक  
श्रीमति सकूदेवी पत्नी शंकर  
जाति राजपुरोहित निवासी कनाना  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.जेनाराम पुत्र लादाराम
- 2.अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
- 3.ओमसिंह उर्फ ओमप्रकाश पुत्र  
पृथ्वीसिंह
- 4.लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह  
जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी  
तहसील कल्याणपुर
- 5.बाबुसिंह पुत्र मंगलसिंह
- 6.सुखदेवसिंह पुत्र मंगलसिंह  
जाति राजपुरोहित निवासी सराणा  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 7.श्रवणसिंह पुत्र छतरसिंह
- 8.रूपकंवर पुत्री पनेसिंह  
जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी  
तहसील कल्याणपुर
- 9.शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  
शाखा पारलू
- 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी
- 2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
- 3.श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 4 से 8
- 4.प्रतिवादी संख्या 03 व 9,10 एकतरफा।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


निर्णय

दिनांक-24.12.2024

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 422,426,427,430,425,424,421,420,419 व 423 एवं खसरा संख्या 428 व 429 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटर एण्ड वाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव वादी द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिए अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई, जो वाद सुनवाई आपति निरस्त की गई तथा वादी का वाद विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 422,426,427,430,425,424,421,420,419 व 423 एवं खसरा संख्या 428 व 429 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	किस्म	बचिन्ह
1	शंकर पुत्र लादाराम जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	कनाना	420	0.7051	गै.मु.	नक्शे मे दर्शितानुसार
			421	3.5117	चा.सो.	
2	जैनाराम पुत्र लादाराम जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	कनाना	419	1.9668	चा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
			420	0.1741	गै.मु.	
			423	1.9126	चा.सो.	
	बाबुसिंह पुत्र मंगलसिंह हि. 1/2 सुखदेवसिंह पुत्र मंगलसिंह हि.1/2 जाति राजपुरोहि सा.सराणा खातेदार	कनाना	422	0.1633	गै.मु.	नक्शे मे दर्शितानुसार
			420	0.9500	गै.मु.	
			421	2.7690	चा.सौ.	
			422	0.1524	गै.मु.	
			424	0.3291	बा.दो.	
			425	0.2338	चा.सो.	
			426	0.4371	गै.मु.	
427	0.7111	चा.सो.				
			430	0.1154	गै.मु.	



सहायक कलक्टर  
(S.D.C.) बालोतरा

4	अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह हि. 1/18 जाति राजपुरोहित सा. तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार,ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीसिंह हि.2/9 सा. तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार,त्वालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह हि.2/9 जाति राजपुरोहित सा.तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार, दुर्जनसिंह पुत्र छतरसिंह हि. 1/6 सा. तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार, रूपकंवर पुत्री पनेसिंह हि.1/6 जाति राजपुरोहित सा.तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार, श्रवणसिंह पुत्र दुर्जनसिंह हि. 1/6 जाति राजपुरोहित सा.तिरसिगढी सोढा हाल देह खातेदार	कनाना	423	1.1468	चा.सो.	नक्शे में दर्शितानुसार
			424	5.8707	बा.दो.	
			425	2.9066	चा.सो.	
			427	0.0578	चा.सो.	
			428	0.3480	गै.मु.	
			429	0.6637	चा.सो.	
			430	0.1762	गै.मु.	

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पत्रा मूर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।



निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 197/2023  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/542

वादी  
शंकर पुत्र लादाजी उर्फ लादाराम  
जाति राजपुरोहित  
निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला  
बालोतरा जरिए अधिकार पत्र धारक  
श्रीमति सकूदेवी पत्नी शंकर  
जाति राजपुरोहित निवासी कनाना  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. जेनाराम पुत्र लादाराम
2. अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
3. ओमसिंह उर्फ ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीसिंह
4. लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित  
निवासी तिरसिंगड़ी तहसील कल्याणपुर
5. बाबुसिंह पुत्र मंगलसिंह
6. सुखदेवसिंह पुत्र मंगलसिंह  
जाति राजपुरोहित निवासी सराणा  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
7. श्रवणसिंह पुत्र छतरसिंह
8. रूपकंवर पुत्री पनेसिंह जाति राजपुरोहित  
निवासी तिरसिंगड़ी तहसील कल्याणपुर
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  
शाखा पारलू
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 197/2023


निर्णय दिनांक :- 24.12.2024

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 04 से 08 की ओर से श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 09,10 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 24.12.2024 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 24.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(अशोक कुमार) कलक्टर  
सहायक कलक्टर बालोतरा  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	---	जोड़	---



  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा  
24/12/24